अनुबंध-क

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग की तर्ज पर आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति

के दिशानिर्देश

(मई 2011 तक अद्यतन की गई)

(आरईसी की मूल कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति मई 2008 को सरकारी उद्यम विभाग की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति अप्रैल 2010 तथा बाद के परिपत्रों के आधार पर समनुरूपित)

1.0 नीति संबंधी वक्तव्य

अपने निम्नलिखित मिशन को पूरा करने के लिए काम करना-

"त्वरित समृद्धि के लिए बिजली की उपलब्धता प्रदान करने और ग्रामीण तथा शहरी आबादी के रहन सहन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और परियोजनाओं को वित्तपोषित और प्रोन्नत, जिसमें देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण भी शामिल है" करने के लिए प्रतियोगी ग्राहक-हितैषी और विकासोन्मुखी संगठन के रूप में कार्य करना।"

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति है - "एक ऐसी जिम्मेदार कारपोरेट हस्ती बने रहना, जो अपने सभी हितधारकों के प्रति अपने सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखता है। हितधारकों में उपभोक्ता, शेयरधारक, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय और पूरा समाज शामिल है।"

इसके अलावा, सितंबर 2010 में **आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व दूरदृष्टि** इस प्रकार तैयार की गई - "आरईसी अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व **(सीएसआर)** के माध्यम से सभी क्षेत्रों में भारतीय सर्वसफल उत्कृष्ट युवावर्ग में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का लगातार प्रयास करता है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदीयमान हो सकें और समाज के आधुनिकीकरण में अपना योगदान दे सकें क्योंकि यह सभी हितधारकों का अपना सामाजिक दायित्व है।"

2.0 कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति आरईसी की सोच

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति आरईसी की सोच विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक आवश्यकता महसूस करने और इसके प्रति परियोजनाओं का अभिनिर्धारण और निर्माण करने की दिशा में कार्य करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्यान्वित करने की है। ऐसे मामलों में, जहां अन्य एजेंसी/संगठन इसमें शामिल हैं, यह सोच सहयोग और भागीदारी पर केंद्रित होगी। यह एक ऐसी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो समाज और समुदाय द्वारा महसूस की जा रही आवश्यकता के समाधान के लिए अपनी सेवाएं भी सुनिश्चित करता है न कि केवल कार्यक्रमों का वित्तपोषण और वित्त व्यवस्था करता है। यह अनुदान सहायता, ब्याजरहित ऋण, मूल निधि प्रदान करके समर्थन देने और रियायती ऋण आदि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।

उपर्युक्त के अलावा, आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति सरकारी उद्यम विभाग द्वारा परिपत्र सं.15(3)/2007-डीपीई (जीएम)-जीएल-99 दिनांक 09 अप्रैल, 2010 के जरिए जारी किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुकूल होगी। तदनुसार, इन दिशानिर्देशों को सरकारी उद्यम विभाग के उपर्युक्त परिपत्र और समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के साथ पढ़ा जाए ।

3.0 लक्ष्य और उद्देश्य

एक जिम्मेदार कारपोरेट प्रतिष्ठान के रूप में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ऐसे अवसरों की लगातार खोज करेगा, जिनसे वह निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास की संकल्पना के अनुसरण में अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेः-

1. वाणिज्यिक रूप से अनुकूल ग्रामीण विद्युतीकरण के तरीकों का प्रदर्शन करना और ऐसे चयनित आधार पर उन्हें समर्थन देना ताकि वैसा ही अन्यत्र भी किया जा सके।
2. ग्रामीण उद्यम और आजीविका का प्रोन्नयन, जिसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण भी शामिल है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्रों/उत्पादन केंद्रों को विकास संबंधी सहायता प्रदान करना।
4. सूक्ष्म उद्यम प्रोन्नयन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का प्रोन्नयन और विकास।
5. पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सतत प्रयास करना।
6. खेलकूद का प्रोन्नयन।

7. (हटा दिया गया) - चूंकि यह कर्मचारियों से संबंधित है।

8. संगत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करना।

9. समाज के सबसे अधिक साधनहीन और प्रवंचित वर्ग को व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा में सहायता देने के उपाय करना।

10. राष्ट्रीय/स्थानीय उपायों के भाग के रूप में प्राकृतिक आपदा/विपदा के समय राहत और पुनर्वास अभियानों में शामिल होना।

11. भारत के सफल युवाओं में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और सभी क्षेत्रों में प्रतिभा को बढ़ावा देना, जिनमें शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति आदि शामिल है।

4.0 कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत क्रियाकलाप

आरईसी निम्नलिखित क्रियाकलापों को व्यापक रूप से संपन्न करके सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों पर ध्यान देने के लिए एकीकृत सोच अपनाने का प्रयास करेगा, जिसे रणनीति के रूप में, परियोजना मान कर ध्यान केंद्रित करके और लोक उद्यम विभाग के कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार काम करते हुए और लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

4.1 अनिवार्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलाप

(उप-खंड 'i' से 'v' कर्मचारी/कर्मचारी कल्याण से संबंधित हैं, इसलिए हटा दिए गए चूंकि वे सरकारी उद्यम विभाग के कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत नहीं आते)

4.2 वैकल्पिक कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलाप

4.2.1 ग्रामीण उद्योग प्रोन्नयन

(i) ग्रामीण उद्यम और आजीविका का प्रोन्नयन, जिसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण भी शामिल है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्रों/उत्पादन केंद्रों को विकास सहायता देना।

(iii) सूक्ष्म उद्यम प्रोन्नयन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का प्रोन्नयन और विकास।

4.2.2 शिक्षा

(i) भवन, विद्युत, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों को अनुदान सहायता देना।

(ii) *(हटा दिया गया)* - (चूंकि यह कर्मचारियों से संबंधित है)

(iii) समाज के साधनहीन वर्गों के बच्चों को बस्ता, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि जैसी अध्ययन सामग्री देना।

4.2.3 स्वास्थ्य

(i) महिलाओं, बच्चों, अशक्तों और वृद्धजनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना।

(ii) विद्यालयों में आवधिक रूप से रोग निवारक कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना।

(iii) स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम/अभियान आयोजित करना और मुद्रित सामग्री/फिल्मों आदि के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता मुद्दों का प्रचार करना।

4.2.4 अन्य

(i) खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभा का पता लगाना और उनकी क्षमता विकास में उन्हें सहायता देना।

(ii) ललित कला, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित/प्रायोजित करके कला और संस्कृति को बढ़ावा देना।

(iii) खेलकूद को बढ़ावा देना और ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(iv) *(हटा दिया गया)* - (चूंकि यह कर्मचारियों से संबंधित है)

(v) सामुदायिक वृक्षारोपण और वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

(vi) देश के किसी भी भाग में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल/सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्वास कार्यक्रम करने में योगदान देना।

(vii) जागरूकता अभियान आदि सहित उपयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण ह्रास, प्रदूषण आदि से रक्षा के उपाय करना।

(viii) सरकार आदि के विकास कार्यक्रमों में सहयोग देना।

(ix) जम्मू-कश्मीर राज्य से आए विस्थापितों, भूतपूर्व सैनिकों आदि जैसे समाज के अन्य वंचित वर्गों को समय-समय पर लागू भारत सरकार के विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन में रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(x) चुनिंदा तरीके से सार्वजनिक/सांस्कृतिक विरासत संबंधी स्थानों को अंगीकार करके उनका अनुरक्षण करना। उपर्युक्त के अलावा, यह निगम, निगम के हित में अनुमोदन के बाद ऐसे किसी भी क्रियाकलाप को अंगीकार कर सकता है जो ऊपर नहीं बताया गया हो।

(xi) सरकारी उद्यम विभाग के कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश-2010 की क्रम सं.9 में उल्लिखित अनुबंध में दिए गए सभी क्रियाकलाप, जो ऊपर नहीं आ पाए हों (उनके उद्धरण इस दस्तावेज के अंत में दिए गए हैं)।

(xii) यथास्थिति समय-समय पर सरकारी उद्यम विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट और आरईसी के निदेशक मंडल/शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य क्रियाकलाप।

5.0 कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन निश्चित क्रियाकलाप

यह निगम कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन निम्नलिखित जैसे उन क्रियाकलापों से अपने आपको दूर रखेगा, जिनके कारण समाज के किसी वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है:-

(i) मंदिर/मस्जिद आदि के निर्माण जैसे धार्मिक क्रियाकलाप।

(ii) ऐसे क्रियाकलाप, जिनसे किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हो।

6.0 संस्थागत ढांचा

6.1 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्य **आरईसी फाउंडेशन** द्वारा किए जाएंगे, जिन्हें 'सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 ' के अधीन एक सोसाइटी के रूप में चलाया जाएगा और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक शासी निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसका स्वरूप

इस प्रकार होगाः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी - प्रेसीडेंस, निदेशक (वित्त), आरईसी - कोषाध्यक्ष, निदेशक (तकनीकी) - सचिव; सभी कार्यकारी निदेशक - सदस्य, महाप्रबंधक (विधि) - सदस्य और उप-नियमों के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति।

6.2 इस सोसाइटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के अधीन एक अलग संस्था ज्ञापन के माध्यम से पंजीकृत करवाया जाएगा।

6.3 शासी निकाय की बैठक में कारोबार करने के लिए तीन सदस्यों से गणपूर्ति पूरी होगी।

6.4 आरईसी फाउंडेशन कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण, नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें सूचना का संकलन और वार्षिक रिपोर्ट आदि तैयार करना भी शामिल है। यह फाउंडेशन आवधिक बैठकें (प्रत्येक छमाही में कम से कम एक) के लिए भी जिम्मेदार होगा और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निधियों के आबंटन के संबंध में कार्रवाई करेगा।

6.5 यदि आरईसी फाउंडेशन संगत आयकर पंजीकरण न किए जाने/छूट आदि या किसी अन्य कारण से अपना कार्य पूरी तरह से करने में विलंब करता है तो कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कार्य आरईसी द्वारा किए जाते रहेंगे और आरईसी द्वारा लाभार्थियों को सीधे ही निधियां दी जाती रहेंगी और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी परियोजनाओं के अनुमोदन और स्वीकृति तथा निधियों के संवितरण के लिए पूरी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

7. कार्यान्वयन संबंधी तंत्र

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपायों को अभिनिर्धारित करते समय आरईसी निम्नलिखित मोटे तौर पर इन मापदंडों को ध्यान में रखेगा जब योजनाओं/परियोजनाओं का अभिनिर्धारण/चयन किया जा रहा हो।

7.1 इन योजनाओं/परियोजनाओं का पूरा जोर आरईसी से संबंधित कारोबार के क्षेत्र संबंधी विषयों पर होना चाहिए।

7.2 कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के अधीन परियोजना आधारित सहायता दी जाएगी, न कि दान के रूप में ताकि उसका सामाजिक प्रभाव और असर दिखाई दे।

7.3 अभिनिर्धारित परियोजनाओं को लागू करते समय, समय-सूची और लक्ष्यों को पहले ही निर्धारित किया जाएगा।

7.4 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाएं सतत विकास के मूल सिद्धांतों पर आधारित होंगी।

7.5 लोक उद्यम विभाग के दिनांक 04.02.2011 के परिपत्र के अनुसार दान आधारित सहायता अनुदान "परियोजना", यदि कोई हो, प्रारंभिक रूप से इस प्रकृति की नहीं होती है और एक वित्त वर्ष में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के वार्षिक कुल बजट का 5औ से अधिक इस पर खर्च नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में समय-समय पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खर्च किया जाएगा।

7.6 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी देते समय उचित संवीक्षा जांच आदि सुनिश्चित कर ली जाएगी । जहां तक संभव हो, कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर समितियों द्वारा समीक्षा की जाएगी। इन समितियों का गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

8.0 नियोजन और समन्वय

8.1 संबंधित विशिष्ट क्षेत्र का अभिनिर्धारण करने के लिए आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर विशिष्ट कार्यक्रम तय और तैयार किए जाएंगे। सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत कार्यक्रम रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें उस विशिष्ट कार्यक्रम की आवश्यकता, कार्यान्वयन की समय-सीमा और बजट का विवरण दिया जाएगा। यदि आवश्यकता महसूस की जाती है तो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा ताकि परियोजनाओं का निर्धारण और कार्यान्वयन किया जा सके।

8.2 उपर्युक्त मद 6.5 के अध्यधीन, आरईसी/आरईसी फाउंडेशन बजट संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करेगा और इसे यथास्थिति आरईसी के निदेशक मंडल/शासी निकाय के अनुमोदन के लिए उसके समक्ष रखेगा।

8.3 ऐसे लक्षित लाभार्थियों, स्थानीय प्राधिकारियों और संस्थानों आदि को, जो इस प्रकार के क्रियाकलापों से जुड़े हुए हों, इसमें शामिल किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उनसे परामर्श किया जाएगा/उन्हें

कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम की योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

8.4 आरईसी फाउंडेशन विभिन्न परियोजनाओं की योजना तैयार करते समय और उन्हें कार्यान्वित करते समय जब कभी आवश्यक समझें, आवश्यकता के आधार पर व्यावसायिकों से इस प्रकार का काम लेगा।

8.5 सेवा/लाभ दिए जाने का मुख्य जोर इस दस्तावेज में उल्लिखित क्रियाकलापों और अनुमोदित कार्यक्रमों, परियोजनाओं के अनुसार होगा।

9. मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

आरईसी निगम के कारोबार और सामाजिक दायित्व को एकीकृत करने संबंधी उपायों के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व की पहलों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगा। इसके अलावा, कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों के प्रभाव को यथासंभव मापा जाएगा। आरईसी फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों की छमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी और प्रगामी समीक्षा रिपोर्ट आरईसी फाउंडेशन द्वारा निगम के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।

10. कार्यान्वयन के बाद इसके प्रभाव का मूल्यांकन

यदि आवश्यक समझा जाए, तो कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों की प्रभावकारिता का बाह्य एजेंसी से मूल्यांकन करवाया जाएगा ताकि वह अपेक्षित फीडबैक और जानकारी दे सके जिससे भविष्य में इन कार्यक्रमों को तैयार किया जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

11. निधियों का आबंटन

11.1 कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग के कारपोरेट सामाजिक दायित्व दिशानिर्देश 2010 के द्वारा निर्धारित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित रकम का कुल आबंटन प्रति वर्ष तय किया जाएगा।

11.2 उपर्युक्त मद 6.5 के अध्यधीन उपर्युक्त रकम आरईसी फाउंडेशन के खाते में अंतरित की जाएगी। यह फाउंडेशन अभिनिर्धारित परियोजनाओं हेतु इसका उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा और आवश्यकतानुसार इसके खातों की लेखापरीक्षा की जाएगी और इसे अन्य नियमों का पालन करना होगा।

11.3 उपर्युक्त 11.2 के अनुसार आरईसी फाउंडेशन को अंतरित निधि का तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक आरईसी फाउंडेशन संगत आयकर पंजीकरण/छूट प्राप्त नहीं कर लेता। उस समय तक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्य को आरईसी द्वारा किया जाएगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के अनुमोदन, स्वीकृति और आरईसी द्वारा निधियों के सीधे संवितरण के लिए पूरी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

11.4 यदि कोई ऐसी रकम हो, जिसका उपयोग न किया जा सके तो वह व्यपगत नहीं होगी, बशर्ते कि वह उस वर्ष खर्च नहीं की गई हो और उसे अगले वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा और वह जमा रहेगी।

11.5 निधियों का आबंटन भिन्न-भिन्न होगा, जो आवश्यकता तथा उस वर्ष की राष्ट्रीय विपत्ति संबंधी आवश्यकता और प्रावधानों पर निर्भर करेगा और इसे वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर तय किया जाएगा।

11.6 आरईसी फाउंडेशन को अंतरित रकम आरईसी द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के प्रति प्रतिबद्ध रूप में समझी जाएगी। समझौता ज्ञापन के अनुपालन के प्रयोजन के लिए इसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों पर खर्च किया गया समझा जाएगा, बशर्ते कि इस संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश उपलब्ध हों।

12. रिपोर्टिंग

12.1 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपायों के अधीन किए गए क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिनमें अभिनिर्धारित क्रियाकलापों, उसके परिणामस्वरूप प्राप्त लाभों और उससे लाभान्वित लोगों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

12.2 अभिनिर्धारित/कार्यान्वित क्रियाकलापों/परियोजनाओं की तिमाही रिपोर्ट आरईसी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।

(अनुबंध9 लोक उद्यम विभाग के कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश 2010 के उद्धरण)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन क्रियाकलापों के संभावित क्षेत्र

(यह सूची संकेतात्मक है, और इनके अलावा अन्य क्रियाकलाप भी हो सकते हैं)

(i) पीने के पानी की सुविधा

(ii) शिक्षा

(iii) बिजली की सुविधा

(iv) सौर प्रकाश प्रणाली

(v) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(vi) सिंचाई सुविधा

(vii) स्वच्छता और जन स्वास्थ्य

(viii) प्रदूषण नियंत्रण

(ix) पशुओं की देखभाल

(x) क्रीड़ा और खेलकूद को बढ़ावा देना

(xi) कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

(xii) पर्यावरण-हितैषी प्रौद्योगिकी

(xiii) भावी और पिछले संपर्कों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवनयापन को बढ़ावा देना।

(xiv) देश के किसी भाग भूकंप, चक्रवात, सूखा और बाढ़ की स्थिति जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को सहायता देना।

(xv) सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रम में सहायता देना।

(xvi) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

(xvii) सामुदायिक केंद्र/रैन बसेरों/वृद्धावस्था गृहों का निर्माण

(xviii) व्यावसायिक प्रशिक्षण देना

(xix) कौशल विकास केंद्र स्थापित करना

(xx) गांवों को गोद लेना

(xxi) 17 श्रेणी के उद्योगों के संबंध में पर्यावरण संरक्षण के लिए कारपोरेट दायित्व संबंधी चार्टर में दिए गए वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर कार्रवाई करना।

(xxii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अशक्तश्रेणी के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति।

(xxiii) छात्रावासों को गोद लेना/उनका निर्माण कराना (विशेषतः ऐसे छात्रावासों को गोद लेना/निर्माण कराना, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और लड़कियों के लिए हों)।

(xxiv) युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास और नौकरी में सहायता संबंधी कार्यक्रम।

(xxv) सड़क, पगडंडियों और पुलों का निर्माण।

(xxvi) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।

(xxvii) आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप, जिनमें सुधार/समस्या कम करने संबंधी क्रियाकलाप शामिल हैं।

(xxviii)पर्यावरण/पारिस्थितिकी के संरक्षण संबंधी क्रियाकलाप और सतत विकास।

- ग्रामीण खुशहाली, कृषि उत्पादकता आदि बढ़ाने में कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उपायों का स्कोप का दिनांक 15.04.2011 का अर्ध-सरकारी पत्र।

.....